कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्याः एम0ई0–3/2022/2538 लखनऊः दिनांक 01 नवम्बर 2022

नीट पी0जी0 2022 की द्वितीय चक की काउंसिलिंग में एम0डी0एस0 (Prosthodontics & Crown Bridge) पाठ्यकम की एस0सी0 ओपन श्रेणी की सीट के संबंध में आवश्यक सूचना।

यू0पी0 नीट पी0जी0 2022 की प्रथम चक की काउंसिलिंग से अभ्यर्थी सुश्री अर्पिता शंखवार, नीट पी0जी0 2022 अनुक्रमांक 2255111195, जिन्होने बी0डी0एस0 पाठ्यकम बी0एच0यू0, वाराणसी से उत्तीर्ण किया है, ने मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के कम में यू0पी0 नीट पी0जी0 2022 की प्रथम काउंसिलिंग में प्रतिभाग किया था तथा उन्हे के0जी0एम0यू0, लखनऊ में एम0डी0एस0 (Prosthodontics & Crown Bridge) पाठ्यकम की सीट पर आवंटन प्राप्त हुआ था।

रिट सी. संख्या–6819 आफ 2022 अर्पिता शंखवार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2022 द्वारा के0जी0एम0यू0, लखनऊ की एम0डी0एस0 पाठ्यकम की सीट पर प्रवेश प्रदान किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

नीट पी0जी0 2022 के नीति निर्धारण विषयक शासनादेश संख्या–612/71–4–4099/1229/2019 दिनांक 23.9.2022 के बिन्दु–4 में स्पष्ट उल्लेख है कि **"ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होने एम0बी0बी0एस0/बी0डी0एस0 की परीक्षा अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं उ0प्र0 राज्य के बाहर से उत्तीर्ण की हो, राजकीय क्षेत्र के मेडिकल कालेजों/चिकित्सा विश्वविद्यालयों/संस्थानों की सीटों पर प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होंगे।"**

नीट पी0जी0 2022 के नीति निर्धारण विषयक शासनादेश में निहित निर्देशों के कम में सुश्री अर्पिता शंखवार को आवंटित एम0डी0एस0 पाठ्यकम की उक्त सीट पर प्रवेश प्रदान नहीं किया गया है।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.10.2022 के कम में अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रकियाधीन होने के दृष्टिगत के0जी0एम0यू0, लखनऊ की एम0डी0एस0 (Prosthodontics & Crown Bridge) पाठ्यकम की एस0सी0 ओपेन श्रेणी की रिक्त सीट को द्वितीय चक की काउंसिलिंग में सम्मिलित नहीं किया गया है।

महानिदेशक।